

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०-2/वि०चि०पदा०-53/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक: / / 2026

डा० निधि कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी(स्त्री रोग), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दानापुर(खगौल), पटना के द्वारा द्वितीय संतान के प्रसव हेतु उपभोगित अवकाश अवधि दिनांक 11.03.2024 से 06.09.2024 तक कुल 180(एक सौ अस्सी) दिन को वित्त विभाग के पत्रांक-9889, दिनांक 01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

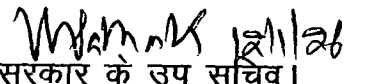
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/वि०चि०पदा०-53/2025- 61(2) पटना, दिनांक 12/01 / 2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, दानापुर(खगौल), पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० निधि कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी(स्त्री रोग), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दानापुर(खगौल), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9बी, 17 एवं 18ए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।